न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-244Ju2024-97 Dalpat Singh ors Vs Ramprasad etc

1. दलपतसिंह पुत्र भीखाराम
2. रूपाराम पुत्र भीखाराम
3. जगदीश पुत्र भीखाराम
4. जयसिंह पुत्र भीखाराम

सभी जातियान् माली, निवासीगण- खरबुजा बावड़ी, सुरसागर, गांव बागा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. रामप्रसाद चेला श्री मोहनदासजी, निवासी-खरबुजा बावड़ी, सुरसागर, गांव बागा, तहसील व जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर दिनांक 13 जून 2024 राजस्व वाद संख्या 01/2023 दलपतसिंह व अन्य बनाम रामप्रसाद

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री,सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पोडेंट

नि र्ण य

दिनांक : 20 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2023 दलपतसिंह व अन्य बनाम रामप्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 13 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 02 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 855 रकबा 5.17 बीघा एवं खसरा नं. 855/1 रकबा 3 बिस्वा ग्राम बागा तहसील व जिला जोधपुर के संबंध में एक वाद बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबंदी जो ग्राम बागा तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 855 एवं 855/1 के संबंध में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें खसरा नं. 855 की भूमि बारानी चतुर्थ एवं खसरा नं. 855/1 की भूमि गैर मुमकिन बेरा दर्ज है। जो भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार कृषि भूमि होने के कारण राजस्व न्यायालय को वाद को सुनकर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त होने के कारण आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उसके द्वारा वाद व दस्तावेजो का अवलोकन कर निर्णय पारित किया है, जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के समय मात्र वाद में अंकित तथ्यों को ही पढा जा सकता है। दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का अवलोकन किये बिना ही कि वाद किस विधि से बाधित है तथा वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के किस प्रावधान के तहत खारिज किया गया है, कोई उल्लेख नही किया गया है। जिससे भी स्पष्ट होता है कि आलौच्य निर्णय एवं डिक्री बिना किसी न्यायिक दिमाग का प्रयोग किये पारित किया गया है जो अपास्त योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार उक्त तथ्यों के संबंध में जवाब प्रस्तुत होने के बाद साक्ष्य के आधार पर ही वाद का निस्तारण किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है, उनकी व्याख्या व अवलोकन किये बिना ही आलौच्य निर्णय पारित किया गया है जो निर्णय बिना किसी कारण के पारित किया गया होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जून 2024 को निरस्त किया जावे एवं वादीगण का वाद विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायलय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का इमारती पट्टा संत रामवल्लभदास चेला हरसुखदास के नाम से तत्कालीन जोधपुर स्टेट द्वारा जारी किया गया था। वादीगण ने अपने वाद में बताया है कि वादग्रस्त आराजी मोहनदास जी चेला श्री अभयरामजी से बेचाननामा दिनांक 29.03.1974 के जरिये उनके पिता ने खरीद की है तथा विक्रय पत्र मोहनदासजी द्वारा निष्पादित किया जाना बताया। सन् 1974 में उपरोक्त भूमि में मोहनदास जी को कोई हस्तांतरण योग्य अधिकार प्राप्त नहीं हुएह एवं न मोहनदास जी उस समय गादीपति थे। राजस्व रेकर्ड में आज दिन तक उपरोक्त भूमि किसी के खातेदारी में दर्ज नहीं हुई एव न ही हो सकती है। इस भूमि का कोई लगान भी निर्धारित नहीं है, जबकि खातेदार वह व्यक्ति होता है, जिससे लगान देय होता है।। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत उक्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादकरण पैदा नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होता है एवं वादकरण के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तत्कालीन जोधपुर स्टेट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 855 रकबा 5.17 बीघा एवं खसरा नं. 855/1 रकबा 3 बिस्वा मौजा बागा परगना जोधपुर का इमारती पट्टा संत रामवल्लभदास चेला हरसुखदास के नाम से जारी किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2029-2032, जमाबंदी 2054-2057 में वादग्रस्त आराजीयात में रामवल्लभ चेला हरसुखदास का नाम बजरिये इमारती पट्टा के रूप में दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में आराजीं रामवल्लभ चेला हरसुखदास की खातेदारी भूमि दर्ज न होकर इमारती पट्टा की जायदाद दर्ज है। अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात उनके पिता भीखाराम द्वारा संत मोहनदास जी से खरीद की गई है। इस संबंध में राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात आजदिनाक तक संत मोहनदास जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज ही नहीं रही है। ऐसी स्थिति में संत मोहनदासजी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से उन्हें वादग्रस्त आराजी को हस्तांतरण किये जाने के कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में बेचाननामा दिनांक 18.03.1974 अपने आप में ही एबइनिशियो, नल एवं वॉईड दस्तावेज की श्रेणी में आता है। वादग्रस्त आराजी रामद्वारा की इमारती पट्टे की अहस्तांतरणीय जायदाद है, जिसे हस्तांरित किये जाने का प्रश्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ही पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद में वादकारण ही पैदा नहीं होने से वादीगण का वाद विधि से बाधित पाया जाता है। इन परिस्थितियो में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वस्तुतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2023 दलपतसिंह व अन्य बनाम रामप्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 13 जून 2024 यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-244Ju2024-97 Dalpat Singh ors Vs Ramprasad etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. दलपतसिंह पुत्र भीखाराम 2. रूपाराम पुत्र भीखाराम 3. जगदीश पुत्र भीखाराम 4. जयसिंह पुत्र भीखाराम सभी जातियान् माली, निवासीगण- खरबुजा बावड़ी, सुरसागर, गांव बागा, तहसील व जिला जोधपुर।	**ब ना म**	रामप्रसाद चेला श्री मोहनदासजी, निवासी-खरबुजा बावड़ी, सुरसागर, गांव बागा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर दिनांक 13 जून 2024 राजस्व वाद संख्या 01/2023 दलपतसिंह व अन्य बनाम रामप्रसाद

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 20 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो. एवं उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2023 दलपतसिंह व अन्य बनाम रामप्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 13 जून 2024 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 20 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील		1. स्टाम्प वकलातनामा	

2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान		2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर